परमधर्मसंसद् 1008 के प्रथम सम्मिलन (दिनांक 25,26,27 नवम्बर 2018 ईसवी, वाराणसी) के अवरसदन के पारित प्रस्तावों, प्रवर सदन के अभिमतों और परमसदन के लिखित परामर्शों के आलोक में

परमाराध्य परमधर्माधीश

द्वारा पारित

परम-धर्मादेश

श्रीरामजन्मभूमि विवाद यूँ तो न्यायालय के समक्ष 1885 से लम्बित है । माननीय उच्चन्यायालय के समक्ष सभी वाद एक साथ समग्र होकर 1989 में प्रस्तुत हुए। जिसमें गोपाल सिंह विशारद, निर्मोही अखाड़ा एवं सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड वादी के रूप में थे । हिन्दुओं की ओर से श्रीरामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति जिसके संरक्षक हम (पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज) हैं । हमने 1989 में मुख्य वाद 4/1989 सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड में प्रभावी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया ।

इसी बीच में, जहाँ प्राचीन मन्दिर जीर्ण होकर विद्यमान था--जिसके गर्भगृह में रामलला विराजमान थे उससे 192 फुट दूर स्थित सिंहद्वार पर कतिपय संस्थाओं द्वारा शिलान्यास करवाया गया । जिसमें भारत ही नहीं अपितु देश विदेश से शिलायें और प्रभूत द्रव्य एकत्र किया गया। विश्व हिन्दू परिषद् ने राममन्दिर निर्माण के नाम पर रामभक्तों से अरबों रूपये, सोना-चांदी (जिनमें सोने चांदी की ईंटें भी शामिल थीं) एकत्र किया । ये रूपये और सोना-चाँदी कहाँ गये इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है । इसे देने वाले रामभक्तों को न तो इसके बारे में आजतक कोई सही सूचना दी गई है और न ही इसकी कोई आडिट रिपोर्ट ही देखने को मिली है ।

अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने 30 सितम्बर 2010 को साक्ष्यों, सबूतों एवं वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर सर्वसम्मति से यह निर्णय दे दिया कि जहाँ रामलला विराजमान है वही भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि है । उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्य श्रीरामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति द्वारा सिद्ध किए गए कि वहाँ कभी बाबर गया ही नहीं और न कभी किसी मस्जिद का निर्माण हो सका । श्रीरामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के द्वारा दिए गए तर्कों, प्रमाणों एवं साक्ष्यों, ऐतिहासिक पुस्तकों एवं अन्य विधिक निर्णयों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संज्ञान लिया एवं सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के वाद को पूरी तरह से खारिज किया । परन्तु उनको 1/3 भाग देने का आदेश भी कर दिया । इस 1/3 भाग के विभाजन के विरुद्ध श्रीरामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी जिसे स्वीकार करते हुये उच्चतम न्यायालय ने उच्चन्यायालय के आदेश को अपील के निस्तारण तक के लिये स्टे कर दिया । जो कि आज भी लागू है ।

यहाँ यह कहना उचित होगा कि भूमि के विभाजन को रोका गया है न कि 67 एकड़ भूमि के अर्जन को । जिसका पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. नरसिंहा राव के समय में अधिग्रहण हुआ था । उनके अनुरोध पर शृंगेरी में शंकराचार्यों सहित अन्य धर्माचार्यों का सम्मेलन हुआ और यह प्रस्ताव आया कि यदि धर्माचार्य आगे आते हैं तो भूमि श्रीराममन्दिर के लिए दी जा सकती है । इस पर सभी धर्माचार्यों ने उक्त सम्मेलन में राम मन्दिर (रामालय) के लिए मांग की तदनुसार एक ट्रस्ट का गठन हुआ जिसका नाम श्रीरामजन्मभूमि रामालय न्यास है । भूमि के अधिग्रहण में प्रधानमन्त्री के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि अधिगृहीत भूमि अधिग्रहण के पहले की किसी संस्था को नहीं दी जायेगी । अपितु इसके पश्चात् इस उद्देश्य के लिये जो नया ट्रस्ट बनेगा

Scanned by CamScanner

मन्दिर निर्माण हेतु उसे सौंपी जाएगी । यहाँ यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि अधिग्रहण के पूर्व बने ट्रस्टों की इस सम्बन्ध में कोई मान्यता न होगी । इसलिए रामालय ट्रस्ट ही इसका विधिक अधिकारी है जो अधिग्रहण के पश्चात् इसी उद्देश्य से गठित हुआ है ।

अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार इस निर्णय में विलम्ब का लाभ उठाकर दूसरी योजना बना रही है जिसके अनुसार अयोध्या में सरयू के किनारे स्वर्गद्वार के निकट एक कांसे का 221 मीटर ऊँचा पुतला बनाया जाएगा जिसमें खर्चा लगभग 800 करोड़ का है । यह पैसा यदि वह है जो विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा जनता से एकत्र किया गया है या फिर सरकार का-- दोनों ही स्थितियों में यह पैसा जनता का है । यदि श्रीरामजन्मभूमि का निर्माण कार्य समय पर नहीं होगा तो जनता का सारा पैसा श्रीराम के पुतले में खर्च हो जाएगा । ऐसी स्थिति में जनता की श्रीराममन्दिर निर्माण की चिरकाल की आकांक्षा एवं भावना सदा के लिए धूमिल हो जाएगी । यह आर्थिक अपराध भी है कि जिस मद के लिये पैसा लिया गया उस मद में खर्च न कर उसे किसी और मद में खर्च किया जाये । यदि पैसा मन्दिर के लिये लिया गया है तो उससे मन्दिर ही बनना चाहिये । इसलिए हम लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुये सनातनधर्मियों की आकांक्षाओं के अनुरूप न्यायालय में 1989 से ही पैरवी कर रही संस्था श्रीरामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति से यह अनुरोध करते हैं कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध करे कि वह उच्च न्यायालय के निर्णय को समर्थन देते हुए जिनकी अर्जी खारिज हो गई है उनकी अपील को खारिज करें एवं भारत के मूर्द्धन्य धर्माचार्यों द्वारा गठित श्री राम्रजन्मभूमि रामालय न्यास श्रीरामजन्मभूमि पर निर्विवाद रूप से ब्रह्म राम के मन्दिर का निर्माणकार्य कर सके ।

आजकल देश भर में यह भ्रम फैलाया जा रहा है और माहौल बनाया जा रहा है कि अयोध्या मामले के निस्तारण के लिये सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में अध्यादेश ले आये । यहाँ प्रश्न यह है कि जब पहले से ही भूमि सरकार के पास है तो फिर अपने पास की भूमि को प्राप्त करने की बात हास्यास्पद नहीं तो क्या है ? साथ ही यदि इस तरह का कोई अध्यादेश लाया गया तो मुसलमानों के मन में यह बात सदा रह जायेगी कि हिन्दुओं की सरकार ने अपने बल का प्रयोग कर हमारे साथ अन्याय किया ।

अतः हम इस परमधर्मादेश के माध्यम से भारत की केन्द्रीय सरकार से श्रीरामजन्मभूमि पर श्रीराम भगवान् के मन्दिर का त्वरित निर्माण सुनिश्चित करने हेतु सम्प्रभुता सन्निहित भारतीय संसद से अनुरोध करते हैं और प्रस्ताव भेजते हैं कि वे संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 व 136 में अनुच्छेद 226 (3) के अनुरूप एक नई कंडिका प्रविष्ट कर यह प्रावधान करें कि श्री रामजन्मभूमि का मामला राष्ट्रीय महत्व का और लोकहित से जुडा मामला है। यह स्थापित विधि व्यवस्था है कि यदि किसी मामले को अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार राष्ट्रीय महत्व का अथवा लोकहित का घोषित करती है तो उच्चतम न्यायालय को चार सप्ताह के भीतर ही ऐसे महत्वपूर्ण मामले का निपटारा करना होगा । अन्यथा उस मामले में दिया गया उच्चतम न्यायालय का अन्तरिम स्थगनादेश/यथास्थिति चार सप्ताह की अवधि बीतते ही स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा । इस प्रावधान में यह निहित है कि ऐसे मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस भेज दी गई हो और कागजी प्रक्रिया पूर्ण हो । सौभाग्य से आठ वर्षों से लम्बित इस मामले में यह औपचारिकता पूर्ण की जा चुकी है ।

हम इस परमधर्मादेश द्वारा श्रीरामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति से भी अनुरोध करते हैं कि वह उच्चतम न्यायालय में एक समुचित आवेदन कर उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करे कि जब तीन न्यायाधीशों ने अपने पूर्व के निर्णय में श्रीरामजन्मभूमि मामले को महत्वपूर्ण मानकर प्राथमिकता के आधार पर दिन-प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया था और इसी आधार पर इलाहाबाद उच्च ल्य

Scanned by CamScanner

न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई भी हुई थी तब तीन न्यायाधीशों की दूसरी खण्डपीठ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई न करने का आदेश क्या ला आफ प्रेसीडेंस और न्यायिक अनुशासन के प्रतिकूल नहीं है ? और तत्काल सुनवाई करने की प्रार्थना करे ।

हम यह परमधर्मादेश देश की संसद के सभी सदस्यों सहित लोकसभाध्यक्ष को प्रेषित कर रहे हैं ताकि वे इसे लोकसभा के पटल पर 11 दिसम्बर से आरम्भ हो रहे शीतकालीन सत्र में रख सकें।

काशी में मन्दिरों का तोड़ा जाना अधार्मिक, अशास्त्रीय, अनैतिक और असंवैधानिक है । काशी में श्री विश्वनाथ गलियारे के बहाने अनेक प्राचीन मन्दिरों का शासनतन्त्र के द्वारा विध्वंस कर देवविग्रहों के अपवित्रीकरण एवं निर्वासीकरण जैसे अपकृत्यों की घोर भर्त्सना करते हुये इसे हिन्दू धर्म पर आघात व धर्मविरुद्ध ही नहीं असंवैधानिक भी घोषित करते हैं । यह स्थापित धर्मशास्त्रीय व वैधानिक विधि है कि प्राणप्रतिष्ठित देवविग्रह जीवंत व्यक्ति की भांति आवास, भोग,वस्त्रादि की अपेक्षा रखते हैं । और उन्हें इन आवश्यकताओं से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 के प्रावधानों का अतिक्रमण करना है । काशी में देवमन्दिरों को तोड़ने वाले अयोध्या में मन्दिरनिर्माण के अधिकारी कैसे हो सकते हैं ?

अतः हमारा यह स्पष्ट मत है कि श्रीराममन्दिर का निर्माण चारों शंकराचार्यों, रामानन्दाचार्यों, रामानुजाचार्यों, मध्वाचार्यों, निम्बार्काचार्यों , तेरह अखाडों के प्रमुखों आदि के पर्यवेक्षण में ही कराया जाना चाहिये न कि किसी सामाजिक या सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक संस्था से सम्बन्धित व्यक्तियों की इकाइयों द्वारा ।

ऐसी स्थिति में यह परमधर्मसंसद् 1008 यह परमधर्मादेश निर्गत करती है जिससे संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायालय में त्वरित सुनवाई करवाकर श्रीरामजन्मभूमि में चिरप्रतीक्षित श्रीराम मन्दिर बनने का मार्ग प्रशस्त होना सुनिश्चित हो ।

स्वामिश्रीः अविमुक्तेश्वरानन्दः सरस्वती
प्रवर धर्माधीश
कृते
परमाराध्य परमधर्माधीश
(ज्योतिष्पीठाधीश्वर एवं द्वारकाशारदापीठाधीश्वर
जगद्गुरु शंकराचार्य)स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज

Scanned by CamScanner